फर्द अहकाम

आशीष कु० बनाम सरकार बहा०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जलालाबाद, शाहजहाँपुर

केस संख्या 126/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		[illegible] बहस सुनी गयी। वकील उपरोक्त पक्षों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 27/1/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जलालाबाद
	27/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उपरोक्त उपस्थित। पत्रावली आदेश के निस्तारण हेतु पत्रावली में उपलब्ध प्रलेखों का अवलोकन किया गया तथा वाद का मनन किया गया। अत: ग्रामसभा की भूमि का अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्व संहिता में दाखिल आवेदन अस्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली के विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बोयदा तामील नियम से [illegible] तथा बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जलालाबाद

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
126 / 2024

दायर दिनांक
27.05.2024

तारीख फैसला
27.01.2025

1. भागीरथ पुत्र सीताराम
2. जेजराम पुत्र सीताराम
3. धन्नी देवी पत्नी धन्नाराम
4. प्रेम देवी पत्नी शंकरलाल
5. ग्यारसा पुत्र नैहनू
6. रामजीलाल पुत्र सीताराम
7. लल्लूराम पुत्र सीताराम
8. श्यामा देवी पत्नी सीताराम
9. सन्तोष पुत्री सीताराम

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. देवया पुत्र भूरा
3. नैहना पुत्र भूरा
4. नाथ्या पुत्र भूरा

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम माथासूला, तहसील आंधी जिला जयपुर।

5. लालाराम पुत्र कानाराम मीणा ग्राम सैथल, जिला दौसा।
6. महेन्द्र कुमार पुत्र नामालूम, जाति ब्राहमण ग्राम सैथल, जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

<u>उपस्थित अभिभाषक</u>

श्री राजेश कुमार पारीक :– वकील प्रार्थीगण।
श्री अरविन्द शर्मा :– वकील अप्रार्थी सं0 2 ता 6

<u>प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवून्यू एक्ट</u>

—:निर्णय :—

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 391 रकबा 1.1900है0 ग्राम माथासूला पटवार हल्का माथासूला तहसील आंधी में स्थित है तथा अप्रार्थीगण सं0 2 ता 4 की भूमि खसरा नम्बर 384 रकबा 0.6800है0 भी ग्राम माथासूला में स्थित है जो गैर मुमकिन रास्ता के खसरा नम्बर 382 से लगती भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 391 के गत खसरा नम्बर 378 थे और साबिक खसरा नम्बर 735, 737, 738, 722 थे। इसी प्रकार खसरा नम्बर 382 के खसरा नम्बर 372 थे जिसमें 722 बारानी अव्वल भूमि मे से 2 बिस्वा भूमि गलत प्रकार से गत खसरा नम्बर 372 में शामिल किया गया, क्योकि खसरा नम्बर 372 में 1 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के साथ ही 2 बिस्वा बारानी अव्वल प्रार्थीगण की भूमि को भी रास्ते मे मिला दिया गया, जबकि वास्तविक रूप से संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित लाल रंग के स्थान पर कोई रास्ता नही है और ना ही कभी उक्त भूमि रास्ते के काम आयी है। खसरा नम्बर 384 में जाने के लिए जो रास्ता खसरा नम्बर 382 का

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(22)

यह हरे रंग से दर्शित स्थान पर अर्से दराज से चला आ रहा है परन्तु सहवन से प्रार्थीगण की भूमि को नक्शे मे रास्ते की भूमि दर्शित करने के कारण अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण को परेशान करते हुये उनके निर्माण को हटवाने पर और जबरन मकानों को तोडने पर आमादा है, जबकि हरे रंग से दर्शित स्थान पर रास्ता बना हुआ है और नक्शे में गलत रास्ता दर्शित होने के वजह से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को दखल उत्पन्न करते हुए उन्हे बेकाबिज करते पर आमादा है जो 2 बिस्वा बारानी अव्वल भूमि प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 382 में सहवन से शामिल कर दी गई, उसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः खसरा नम्बर 391 एवं 382 स्थित ग्राम माथासूला तहसील आंधी जिला जयपुर के राजस्व नक्शे मे दुरूस्ती की जाकर त्रुटिपूर्ण नक्शे को सही करते हुए संलग्न नजरी नक्शे मौके मे लाल रंग से दर्शित स्थान को खसरा नम्बर 391 मे शामिल करते हुए खसरा नम्बर 382 को हरे रंग से दर्शित स्थान में शामिल करते हुए दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी रजि० डाक से जारी की गई। अप्रार्थी सं० 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी सं 0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/ आर०टी०/2024 /549 दिनांक 18.06.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार (पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम माथासूला के खसरा नम्बर 391 रकबा 1.19है० किस्म चाही 1 संलग्न जमाबन्दी अनुसार खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मुताबिक रिकार्ड खसरा नम्बर 382 रकबा0.2800है० किस्म गै०मु०रास्ता सिवायचक राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मुताबिक राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 843 रकबा 4.3900है० किस्म गै०मु०सडक से लगवा खसरा नम्बर 382 गै०मु०रास्ता खसरा नम्बर 384 तक जा रहा है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 391 के साबिक खसरा नम्बर 378 रहे है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण के खसरा नम्बर 737 मिन 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 735 किन रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 737 मिन 1 बिस्वा,खसरा नम्बर 738 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 733 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 722 मिन 1 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा रहे है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 382 के साबिक खसरा नम्बर 372 मिन 0.2800है० रहे है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण के खसरा नम्बर 372 के साबिक खसरा नम्बर 722 मिन रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 706 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा रहे है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध/सेटलमेंट के हाल खसरा नम्बर 843 गै०मु०सडक में खसरा नम्बर 372 मिन 0.02है० शामिल है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण के खसरा नम्बर 722 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा मे से खसरा नम्बर 372 में 2 बिस्वा रकबा शामिल किया गया है। मुताबिक खतौनी भूमि एकीकरण के खसरा नम्बर 722 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा मे से 2 बिस्वा खसरा नम्बर 372 गै०मु०रास्ता में शामिल किया गया है। जो सहवन से होना प्रतीत है। अतः मुताबिक प्रार्थना पत्र नक्शा भूमि एकीकरण व एकीकरण खतौनी के हाल राजस्व नक्शें के खसरा नम्बर 391 व 382 का एकीकरण नक्शें के साबिक खसरा नम्बर 722 के मुताबिक संलग्न नजरी नक्शानुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत है।

वकील उभय पक्षों व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम माथासूला, पटवार हल्का माथासूला, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 391 व 382 का एकीकरण नक्शें के साबिक खसरा नम्बर 722 को मुताबिक रिपोर्ट संलग्न नजरी नक्शे अनुसार नक्शां दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शा में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़